पत्रांक –5/न०वि०/का०भ०–04/2016.......19.......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

OSP

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक– 08/05/18

विषयः– नगर पंचायत कार्यालय भवन के विस्तार हेतु रू० 44,25,130/– के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोडरमा नगर पंचायत को संस्थाओं का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन मद के अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल रू० 44,25,130/–(चौवालिस लाख **पच्चीस हजार एक सौ तीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–175 दिनांक–03.10.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत कार्यालय भवन के विस्तार हेतु रू० 44,25,130/– के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कोडरमा नगर पंचायत को रू० 22,25,130/– अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु राशि की निकासी में तकनीकी समस्या के कारण यह स्वीकृत्यादेश अन्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–312 दिनांक–12.03.18 द्वारा रद्द कर दी गयी थी।

उक्त क्रम में नगर पंचायत कार्यालय भवन के विस्तार हेतु रू० 44,25,130/– के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोडरमा नगर पंचायत को संस्थाओं का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन मद के अंतर्गत OSP प्रक्षेत्र से कुल रू० 44,25,130/–(चौवालिस लाख पच्चीस हजार एक सौ तीस रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य–लघुशीर्ष –191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–93–संस्थाओं का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए सहायय् अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन), विपत्र कोड–48S221780191930679 से वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकलनीय होगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा नगर पंचायत होंगे जिनके द्वारा कोडरमा कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व में कोडरमा नगर पंचायत को कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
1	कोडरमा नगर पंचायत	182/25.03.2010 30/14.05.2011	2375000 1468000	2375000 1468000

5. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नं०–1 में अवस्थित कार्यालय भवन के प्रथम तल में निर्माण कार्य हेतु कुल 44,25,130/–रू० पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

Rakesh/E/Shail/SO_Capacity Building 18-19-5

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा नगर पंचायत को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा नगर पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत योजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त DPR के अनुसार कार्यान्वयन नियमानुसार खुली प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाए एवं मासिक भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह) 7.5.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/का०भ०–04/2016......19......./न0वि0वि0, राँची, दिनांक– 08/05/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, कोडरमा नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा कोषागार/परियोजना निदेशक (प्रशासन) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/ श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।